

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 2019

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जीएस) की विक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या4(6)-इव्हायूएडएम/2019: भारत सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक की विक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित भरती है:

प्रतिश्वेति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (दर्श-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का नीलामी की अधिसूचित राशि	आधार	विधि (करोड़ में)
6.17% सरकारी प्रतिश्वेति 2021	15 जुलाई, 2019	02-00-00	15 जुलाई, 2021	मूल्य	विविध	3,000
7.27% सरकारी प्रतिश्वेति 2026	08 अप्रैल, 2019	07-00-00	08 अप्रैल, 2026	मूल्य	विविध	3,000
भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2031	07 मई, 2018	13-07-00	07 दिसंबर, 2031	मूल्य	विविध	5,000
7.62% सरकारी प्रतिश्वेति 2039	08 अप्रैल, 2019	20-05-07	15 सितम्बर, 2039	मूल्य	विविध	2,000
7.63% सरकारी प्रतिश्वेति 2059	06 मई, 2019	40-01-11	17 जून, 2059	मूल्य	विविध	4,000

कुल अधिसूचित राशि 17,000 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन भारत सरकार, उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिश्वेतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदाव का विकल्प द्वारा रखेगी। यह विक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। इस स्टॉक की विक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4(2)-इव्हायूएडएम/2018, तारीख 27 मार्च 2018 में निश्चित शर्तों के अधीन की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आवंटन

2. सरकारी प्रतिश्वेतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, विक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 23 अगस्त, 2019 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलिया भारतीय रिजर्व बैंक कोर्टींग सोल्यूशन (ई-कुर्वे) प्रणाली सबधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23 अगस्त, 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलिया पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलिया पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए अनुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में 23 अगस्त, 2019 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा अनुगतान 26 अगस्त, 2019 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए अनुगतान में नीलामी में आवंटित बोलीदाताओं द्वारा अनुगतान 26 अगस्त, 2019 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन अनुगतान की तारीख से प्रोट्रॉत व्याज देय होने की तारीख तक, प्रोट्रॉत व्याज शमिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है। मार्च सितम्बर

व्याज का अनुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन अनुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर व्याज प्रोट्रॉत होगा तथा इसका अनुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सम्मूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिश्वेति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन अनुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोट्रॉत व्याज देय है	कूपन अनुगतान की तारीख (तारीख/माह)
6.17% सरकारी प्रतिश्वेति 2021	6.17	नया स्टॉक	25 अगस्त, 2019	15 जनवरी और 15 जुलाई
7.27% सरकारी प्रतिश्वेति 2026	7.27	नया स्टॉक	25 अगस्त, 2019	08 अक्टूबर और 08 अप्रैल
भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2031	परिवर्तनीय+	07 जून, 2019	25 अगस्त, 2019	07 दिसंबर और 07 जून
7.62% सरकारी प्रतिश्वेति 2039	7.62	नया स्टॉक	25 अगस्त, 2019	15 सितम्बर और 15 मार्च
7.63% सरकारी प्रतिश्वेति 2059	7.63	17 जून, 2019	26 अगस्त, 2019	17 दिसंबर और 17 जून

* भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2031

(i) परिवर्तनीय दर पर व्याज का अनुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाले बांड की कूपन दर होंगी जो मूल दर होंगी तथा यह 182 दिवसीय राजकार्यीय हुंडियों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) की भारित औसत आय (डब्ल्यूएचडे) तथा नीलामी तत्र द्वारा 100 आधार बिन्दु के नियत स्प्रेड के समतुल्य होगी।

यह मूल दर की अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्षे में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी। यह बोलीदाता की अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्षे में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन नॉन-रिपोर्टिंग शुक्रवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिश्वेति(यों) के लिए कूपन अवधि 6.17% से 7.27% तक परिवर्तन प्रति वर्षे होंगी। अंतर्निहित आय की गणना वर्षे में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) बांडों की समयावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवसीय राजकार्यीय हुंडियों की पिछली 3 नीलामियों को बढ़ा कर दिए जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन नॉन-रिपोर्टिंग शुक्रवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिश्वेति(यों) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाईटीएम) की औसत होंगी। यदि किसी शुक्रवार को कोई विशेष छुट्टी/छुट्टियाँ हैं, तो परिपक्वता दर आय की दरै वही होंगी जो पिछले कार्ये दिवस की थी।

(iv) कूपन अवधि 7 जून, 2019 से 6 दिसंबर, 2019 के लिए आधार दर 6.27 प्रतिशत प्रति वर्षे है। तदनुसार, इस अवधि के लिए एकआरबी

2.7% से 3.0% तक व्याज दर, संबंधित अर्धवार्षिक कूपन 2031 पर व्याज दर 7.27 प्रतिशत प्रति वर्षे होंगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय व्याज दर, संबंधित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

ऋग्वेद श्रीवास्तव

(अरविंद श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार